न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला जयपुर राजस्थान

पीठासीन अधिकारी :— श्री संजीव कुमार खेदर , आर. ए. एस.

वाद संख्या :— 94 / 2025

उनवान

1.धर्मपाल गोठवाल पुत्र हीरालाल गोठवाल उम्र व्यस्क जाति बलाई निवासी ग्राम हनुतपुरा, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर (राज०)

—वादी

बनाम

1. अमरचन्द पुत्र नाथूराम
2. अन्जनी पत्नी नाथूराम
3. उगन्ता पुत्री साधूराम
4. ओमप्रकाश पुत्र साधूराम
5. कमली पत्नी साधूराम
6. कृष्णा पुत्री हनुमान
7. नरेश पुत्र साधूराम
8. मगला पुत्र मागू
9. मन्जू पुत्री नाथूराम
10. मनोरी पुत्री रूडाराम
11. महेन्द्र पुत्र नाथूराम
12. रवि पुत्र साधूराम
13. लक्ष्मी पुत्री नाथूराम
14. विजयकुमार पुत्र हनुमान
15. सन्ति पत्नी हनुमान
16. सुमन पुत्री नाथूराम
17. सुमित्रा पुत्री रूडाराम
18. सुरजी पुत्री रूडाराम
19. सुरेशकुमार पुत्र हनुमान

समस्त उम्र व्यस्कान समस्त जाति मीणा निवासी ग्राम ढाणी हुनुतपुरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर राज0।

20 प्रबन्धक पंजाब नेशनल बैंक शाखा शाहपुरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर राज

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला—जयपुर (राज.)

21 प्रबन्धक राजस्थान मरूधर ग्रामीण बैंक शाखा खोरालाडखानी तहसील शाहपुरा जिला जयपुर राज

22 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील शाहपुरा जिला जयपुर (राज)

—प्रतिवादीगण

वाद पत्र बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 आर टी एक्ट

निर्णय दिनांक :— 21/11/25

प्रस्तुत वाद संक्षेप में इस प्रकार है कि हाल खाता स 6 के खसरा नम्बरान 2732 रकबा 0.60 हेक्ट0, 2737 रकबा 0.26 हैक्ट0, 2738 रकबा 155 हैक्ट0, 4091 रकबा 0.50 हैक्ट कुल किता 4 कुल रकबा 2.91 हैक्ट वाकै ग्राम हनुतपुराउर्फरूडी तहसील शाहपुरा जिला जयपुर में स्थित है। उक्त जिमन न 1 में वर्णित भूमि के हिस्सा 1/2 भाग का वादी तथा शेष हिस्सा के मुताबिक जमाबन्दी में वर्णितानुसार प्रतिवादीगण स. 1 लगायत 19 खातेदार काश्तकार काबिज काश्त उपयोग उपभोग है तथा इसी अनुसार राज में माग के अनुरूप लगान जमा कराते आ रहे है। उक्त जिमन नं 1 में वर्णित भूमि का मौके पर खातेदारों ने बहामी बटवारा कर रखा है जिस अनुसार ही वादी ने भूमि पुर्व खातेदारों से कय की है जिस पर बहामी बटवारा अनुसार वादी अपने हिस्सा पर काबिज उपयोग उपभोग कर रहा है। प्रतिवादीगण स 1 लगायत 19 के मन में बेईमानी व लालच पैदा हो गया है जो कि वादी के मौके पर बहामी बटवारा में प्राप्त हिस्सा की जमीन को हडप करने के लिये अन्य लोगों के साथ मिलकर एक नाजायज सगठन बना लिया है। जो वादी को उसके हिस्से की भूमि काश्त व उपयोग उपभोग करने व आने जाने में बाधा उत्पन्न कर रहे है वादी के हिस्से कृषि भूमि पर बेदखल करने पर उतारू हो रहे है तथा काश्त उपयोग उपभोग करने में बाधा करने लगे है। तथा वादी को हैरान व परेशान कर वादी को भूमि से जबरन लाठी की ताकत से बेदखल करने पर आमादा है। प्रतिवादीगण सख्या बल में अधिक है जिन्होने अन्य दीगर लोगो के साथ मिलकर एक नाजायज सगठन बना लिया है जो वादी की उक्त जिमन न 1 में वर्णित हिस्सा की भूमि में बाधा उत्पन्न करके वादी के बहामी बटवारा में अपने हिस्सा की भूमि में शान्तिपूर्वक उपयोग उपभोग करने में मजामहत बेजा पैदा करने लगे है एव भूमि वादग्रस्त से वादी को परेशान व हैरान करके बेदखल करने पर आमादा है। तथा वादी से जोर जबरदस्ती से भूमि को हडप करने के लिये लडाई झगडा करने पर आमादा रहते है। जो कि रोज रोज के लडाई झगडा से वादी व प्रतिवादीगण के बीच में बहामी बटवारा अनुसार काश्त व. उपयोग उपभोग करना सभव नही रहा है जिससे भविष्य में कोई विवाद अप्रिय घटना पैदा नहीं हो इसलिये बहामी बटवारा से काश्त उपयोग उपभोग करना संभव नहीं होने से वादी ने प्रतिवादीगण को

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला—जयपुर (राज.)

उक्त भूमि का मौके पर बहामी बटवारानुसार या सरस नरस (यानि अच्छी में से अच्छी व बूरी में से बूरी) रास्ता को ध्यान में रखकर के कानूनी बटवारा कराने के लिए कहा तो प्रतिवादीगण पहले तो हॉं कर दिये लेकिन कल दिनांक 15.10.2025 को प्रतिवादी स 1 व 4 तथा 7, 8 ने वादी को धमकी दी की कोई बहामी बटवारा अनुसार बटवारा नही करेगे वादी को जो करना है वो कर ले तथा प्रतिवादीगण वादी को ऐसे ही परेशान करते रहेगे जिससे वादी परेशान होकर भूमि को औने पौने दामों में प्रतिवादीगण को ही विक्रय कर देगा या हम सब प्रतिवादीगण मिलकर वादी को जबरन लाठी की ताकत से बेदखल कर देगे तथा भूमि मुत्तदाविया पर आयन्दा वादी को घूसने नही देगे भूमि को खुर्द बुर्द कर वादी को भूमि का उपयोग उपभोग नहीं करने देगें। तथा ना तो सरस नरस (यानि अच्छी में से अच्छी व बूरी में से बूरी) के अनुसार ना ही मौके पर बहामी बटवारा अनुसार कोई बटवारा नहीं करेगे अपनी मन मर्जी से जो चाहेगे वो करेंगे। जिससे वादी को यह दावा न्यायालय श्रीमान में पेश करना अति आवश्यक हुआ है।

अन्त में निवेदन किया कि खाता सं0 6 के खसरा नम्बरान 2732 रकबा 0.60 हैक्ट 2737 रकबा 0.26 हैक्ट, 2738/155 हैक्ट 4091 रकबा 0.50 हैक्ट कुल किता 4 कुल रकबा 2.91 हैक्ट वाकै ग्राम हनुतपुराउर्फरूडी तहसील शाहपुरा में स्थित का मौके पर बहामी बटवारा अनुसार या अन्यथा सरस नरस (यानि अच्छी मे से अच्छी व बूरी में से बूरी) के अनुसार विधिक बटवारा कराया जाकर वादी व प्रतिवादीगण को कब्जा अलग अलग हिस्सा का सम्भलाया जावे व भूमि का अलग अलग नम्बर कायम कराया जावे व अलग अलग लगान कायम कराया जावे तथा प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाये कि वे वादी की भूमि हिस्से में किसी प्रकार की कोई मजाहमत बेजा पैदा नहीं करे वादी की भूमि को खुर्द बुर्द नहीं करे। जबरन किसी बेदखल नही करें। शांतिपूर्वक काबिज रहकर काश्त व उपयोग उपभोग करने देवे। हर्जा खर्चा वाद प्रतिवादीगण से वादी को दिलवाया जावे तथा अन्य अनुतोष जो न्यायालय श्रीमान न्यायहित में उचित समझे बहक वादी बखिलाफ प्रतिवादीगण पारित करने की कृपा करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को विधिवत नोटिस जारी किये गये। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 20 की ओर से अधिवक्ता श्री रविशंकर अग्रवाल ने वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 10, 12 लगायत 19, 21, 22 बाद तामील एवं सूचना के अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 11 स्वयं उपस्थित आये एवं दावा प्राथमिक डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया। वकील उभयपक्ष ने दावा प्राथमिक डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया। सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण बंटवारे व

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला-जयपुर (राज.)

स्थायी निषेधाज्ञा का होने से एवं वकील उभयपक्ष दावा प्राथमिक डिक्री किये जाने हेतु सहमत होने से दावा दिनांक 07.11.2025 को प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार शाहपुरा को कुर्रेजात रिपोर्ट भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया।

प्रकरण में तहसीलदार शाहपुरा के पत्रांक/भू0अ0/2025/6200 दिनांक 17.11.2025 के द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त हुई। वकील उभयपक्ष ने प्रकरण में प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट का अवलोकन किया एवं अवलोकन उपरांत कुर्रेजात रिपोर्ट पर कोई आपत्ति पेश नहीं कर दावा मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार अंतिम डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया। सुना गया। पत्रावली व कुर्रेजात रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। चूंकि वकील उभयपक्ष ने कुर्रेजात रिपोर्ट पर कोई आपत्ति पेश नहीं कर दावा मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार अंतिम डिक्री किये जाने हेतु सहमत है। अतः कुर्रेजात रिपोर्ट सही प्रतित होने से मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार दावा अंतिम डिक्री किया जाना उचित समझते है।

आदेश

अतः उपर्युक्त तथ्यों के विवेचन के फलस्वरूप दावा मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार अंतिम डिक्री किया जाता है कि खाता सं0 6 के खसरा नम्बरान 2732 रकबा 0.60 हैक्ट0, 2737 रकबा 0.26 हैक्ट0, 2738/1.55 हैक्ट0, 4091 रकबा 0.50 हैक्ट0, कुल किता 4 कुल रकबा 2.91 हैक्ट वाकै ग्राम हनुतपुराउर्फरूडी तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0 की भूमि का पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार बंटवारा किया जाता हैं :–

धर्मपाल गोठवाल पुत्र हीरालाल गोठवाल जाति बलाई सा0 देह खातेदार के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 2732 रकबा 0.6000 है0, 4091 रकबा 0.5000 है0, 2738/2 रकबा 0.3550 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.4550 है0 भूमि रहेगी।

अन्जनी पत्नि नाथूराम हिस्सा 13/288 जाति मीणा सा0 देह खातेदार राहिन हिस्सा 1/24 पंजाब नेशनल बैंक शाखा शाहपुरा, अमरचन्द पुत्र नाथूराम हिस्सा 13/288 जाति मीणा सा0 देह खातेदार राहिन हिस्सा 1/24 पंजाब नेशनल बैंक शाखा शाहपुरा, उगन्ता पुत्री साधूराम हिस्सा 1/240 जाति मीणा सा0 देह खातेदार, ओमप्रकाश पुत्र साधूराम हिस्सा 11/240 जाति मीणा सा0 देह राहिन हिस्सा 1/24, राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा खोरालाडखानी, कमली पत्नि स्व0 साधूराम हिस्सा 1/240 जाति मीणा सा0 देह, कृष्णा पुत्री हनुमान हिस्सा 1/192 जाति मीणा सा0 देह, नरेश पुत्र साधूराम हिस्सा 11/240 जाति मीणा सा0 देह राहिन हिस्सा 1/24 राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा खोरालाडखानी, मंगला पुत्र मांगू हिस्सा 1/2 जाति मीणा सा0 देह राहिन हिस्सा 1/2 राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा खोरालाडखानी, मंजू पुत्री नाथूराम हिस्सा 1/288 जाति मीणा सा0 देह, मनोरी पुत्री

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला–जयपुर (राज.)

रूडाराम हिस्सा 1/48 जाति मीणा सा0 देह, महेन्द्र पुत्र नाथूराम हिस्सा 13/288 जाति मीणा सा0 देह राहिन हिस्सा 1/24 पंजाब नेशनल बैंक शाखा शाहपुरा, रवि पुत्र साधूराम हिस्सा 11/240 जाति मीणा सा0 देह राहिन हिस्सा 1/24 राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा खोरालाडखानी, लक्ष्मी पुत्री नाथूराम हिस्सा 1/288 जाति मीणा सा0 देह, विजय कुमार पुत्र हनुमान हिस्सा 13/192 जाति मीणा सा0 देह राहिन हिस्सा 1/16 राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा खोरालाडखानी, सन्ती पत्नि स्व0 हनुमान हिस्सा 1/92 जाति मीणा सा0 देह, सुमन पुत्री नाथूराम हिस्सा 1/288 जाति मीणा सा0 देह, सुमित्रा पुत्री रूडाराम हिस्सा 1/48 जाति मीणा सा0 देह, सुरजी पुत्री रूडाराम हिस्सा 1/48 जाति मीणा सा0 देह, सुरेश कुमार पुत्र हनुमान हिस्सा 13/192 जाति मीणा सा0 देह राहिन हिस्सा 1/16 राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा खोरालाडखानी के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 2737 रकबा 0.2600 है0, 2738/1 रकबा 1.1950 है0 कुल किता 02 रकबा 1.4550 है0 भूमि रहेगी।

प्रकरण में तहसीलदार शाहपुरा की ओर से प्रस्तुत कुर्रेजात रिपोर्ट एवं सलंग्न नक्शा ट्रेस इस निर्णय का जुज रहेगा। साथ ही पक्षकारान वादीगण एवं प्रतिवादीगण को हमेशा हमेशा के लिए जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि एक–दूसरे के हिस्से में आई भूमि में किसी भी प्रकार की मजहामत पैदा नहीं करें, बल्कि शान्तिपूर्वक उनके हिस्से की भूमि की काश्त एवं उपयोग व उपभोग करने देवें। हर्जा खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद एवं नक्शा ट्रेस में तरमीम करने के लिए लैण्ड होल्डर तहसीलदार शाहपुरा को तहरीर जारी हो। पर्चा डिकी जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 21/11/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(संजीव कुमार खेदर, R.A.S)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
शाहपुरा, जिला जयपुर

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा, जिला जयपुर (राज.)